

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक :प.15(41)ज0सं0 / 13

जयपुर, दिनांक : 27-6-17

—: आदेश :—

राजस्थान अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954 के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता (सिविल) की वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के लिये दिनांक 16.05.13 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। डीपीसी की विषय सामग्री में श्री रमेश चन्द्र शर्मा, अधिशाषी अभियंता के विरुद्ध सीसीए नियम 16 में जांच विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति का चयन परिणाम बन्द लिफाफे में रखा गया। कार्मिक विभाग द्वारा उक्त जांच का निर्णय करते हुए आदेश दिनांक 09.09.15 के द्वारा श्री रमेश चन्द्र शर्मा को एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। श्री रमेश चन्द्र शर्मा के विरुद्ध पारित दण्डादेश के कारण अधीक्षण अभियंता की वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व में आयोजित डीपीसी को रिव्यू किया गया। विभागीय पदोन्नति समिति ने श्री रमेश चन्द्र शर्मा को वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध अधीक्षण अभियंता पद पर पदोन्नति की अनुशंसा की है। अतः विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसानुसार श्री रमेश चन्द्र शर्मा, अधिशाषी अभियंता का वर्ष 2013-14 की चयन सूची में से नाम विलोपित किया जाता है तथा इनको वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। इस वर्ष पदोन्नत अधिकारियों में इनका नाम श्री निसार अहमद के नीचे एवं श्री कृष्ण लाल जाखड के ऊपर रहेगा।

आज्ञा से

(आर0सी0 ढेनवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, जल संसाधन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति सभी संबंधित को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी
6. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव